



संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
REGIONAL OFFICE  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA

सन्दर्भ सं०  
Ref. No. G-113797/NGT/716/2019

दिनांक  
Date 30/12/19

To,  
The Registrar,  
National Green Tribunal,  
New Delhi.

**Subject:- Compliance of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi Principal Bench Order dated 18.09.2019 in the matter of O.A. No. 716/2019 Ajay Kumar V/s State of U.P. & Ors.- Regarding.**

Sir,

This has reference to above mentioned subject regarding compliance of Hon'ble National Green Tribunal; New Delhi Principal Bench Order dated 18.09.2019, on the subject mentioned above. Relevant part of the order dated 18.09.2019 passed by Hon'ble NGT is as below -

"Grievance in this letter, which has been treated as an application, is against air pollution by emission of coal dust and cement dust by operation of JP Cement factory and its power plant at Churk, District Sonbhadra, Uttar Pradesh.

Let the District Magistrate, Sonbhadra and the State Pollution Control Board (SPCB) jointly look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicialngt@gov.in. The SPCB will be the nodal agency for compliance and coordination....."

In this context it is to inform that the unit was inspected by joint team of district administration and U.P. Pollution Control Board on 01.11.2019 (Annex-1). At the time of inspection some shortcomings in air pollution control system were observed. Show cause notice under section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 was issued to unit on 29.11.2019 and Environmental Compensation of Rs.92.10 lac is imposed vide letter dated 29.11.2019 (Annex-2&3). Industry has submitted the compliance report of show cause notice vide letter dated 14.12.2019 and requisition letter dated 14.12.2019 to reconsider the EC imposed, as unit is complying the environmental laws (Annex-4&5). The compliance report and requisition letter of the unit dated 14.12.2019 are under consideration with joint committee of District Administration and U.P. Pollution Control Board (Annex-6).

The above compliance report is submitted for your kind consideration please.

Encls. As Above.

  
30/12/19  
(Radhey Shyam)  
Regional Officer

कार्यालय- म०सं० 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)  
राबर्ट्सगंज-सोनभद्र (231216)  
फोन नं०- 05444-222464  
फैक्स नं०- 05444-222464  
ई-मेल- rosonbhadra@uppcb.com

Office H. N. 162, Uttar Mohal (Near Chandhi Hot  
Robertsganj, Sonbhadra (231216)  
Phone No. : 05444-222464  
Fax No. : 05444-222464  
E-mail Id : rosonbhadra@uppcb.com


**Inspection report of M/s J.P. Churk  
industrial complex (A Unit of Jay Prakash  
Associates Limited) Churk,  
Tehsil-Robertsganj, Distt-Sonbhadra  
Uttar Pradesh**

Placed before

**HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT),  
New Delhi**

**In the matter of OA No. 716 Of 2019  
Ajay Kumar V/S State Of Uttar Pradesh**

**Members Represented by**



(Radhey Shyam)

Regional Office,  
U.P. Pollution Control Board,  
Sonbhadra



(Y.D. Chauhan)

Sub-Divisional Magistrate,  
Tehsil-Robertsganj,  
Sonbhadra

**REPORT OF JOINT INSPECTION TEAM IN COMPLIANCE TO HON'BLE  
NGT ORDER DATED 18.09.2019 IN ORIGINAL APPLICATION No. 716  
of 2019 IN THE MATTER OF AJAY KUMAR V/S STATE OF  
UTTAR PRADESH**

---

Hon'ble NGT directions in its order dated 18.09.2019 in Original Application No. 716 of 2019 in the matter of Ajay Kumar V/s State of Uttar Pradesh have directed to District Magistrate Sonbhadra and State Pollution Control Board to look in to the matter, take appropriate action and furnish a factual and action taken report in the matter within one month.

In compliance of Hon'ble NGT order dated 18.09.2019 in O. A. No. 716 of 2019 in the matter of Ajay Kumar V/s State of Uttar Pradesh, Inspection of M/s J.P. Churk industrial complex (A Unit of Jay Prakash Associates Limited) Churk, Tehsil-Robertsganj, Distt-Sonbhadra was carried out by the Sub Division Magistrate, Sadar, Sonbhadra and Regional Officer, U.P. Pollution control board, Sonbhadra on dated 01.11.2019. At the time of inspection industry was in production and Shri R.N. Yadav, Senior Executive President was present as representative of the industry. The detail inspection report is as bellow:-

1. The industry is engaged in the production of Cement (Cement Grinding Unit) having capacity of 1.0 million ton/annum by using clinker, fly ash and Gypsum as raw material. Unit have installed captive power plant of capacity 3X60 M.W. (180 M.W.).

Unit wise dates of commissioning are as follows:-


- I. Captive Power Plant Unit-1(60 M.W.)-dated 18.01.2014
- II. Captive Power Plant Unit-2 (60 M.W.)-dated 12.07.2014
- III. Captive Power Plant Unit-3(60 M.W.)-dated 10.07.2015
- IV. Cement Grinding Unit-dated 18.11.2018


  
(Radhey Shyam)

  
(Y.D. Chauhan)

At the time inspection only unit no. 3 of captive power plant of capacity 1X60 M.W and cement grinding unit was found operational.

2. Unit has installed 3 nos. of coal fired boilers, having 250 Ton/hr steam generation capacity. In each boiler 50 Ton/hr coal is used as a fuel. At the time of inspection boiler no. 3 was found in operation. Approx. 130 meter height of stack from ground level attached with boiler no. 1 & a common stack of height 130 meter from ground level for boiler no. 2 & 3. Electrostatic precipitator as Air Pollution Control System (APCS) are installed with each boiler to control air pollution.
3. In cement grinding unit 200 Ton/hr capacity of ball mill is installed. The industry has installed bag filters as APCS along with approx. 70 meter stack height from ground level to control process emission for cement grinding unit. At the time of inspection APCS was found in operation. The industry has installed 2 nos. packing machine having capacity 180 ton/hr each.
4. Online continuous emission monitoring system (OCEMS) for continuous monitoring of particulate matter have been installed by the unit at the stack of cement grinding unit but it is not link with server of CPCB & UPPCB server till the date of inspection.
5. Online continuous emission monitoring system (OCEMS) for continuous monitoring of particulate matter, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> are installed at both the stack of captive power plant and connected with server of CPCB & UPPCB.
6. The industry has constructed RCC silo having capacity 20,000 ton for clinker, 6000 ton capacity of RCC silo and 750 ton capacity of mild steel intermediate silo for fly ash storage. Gypsum is stored under covered shed by the industry.
7. The industry has installed one primary coal crusher having capacity 700 Ton/hr and one secondary coal crusher having capacity 400 Ton/hr each. As per information given by the industry during inspection secondary coal crusher is used as standby. The unit has installed bag filters as APCS for Primary and secondary coal crushers. At the time of inspection primary coal crusher was found closed, where as secondary coal crusher was found in operation. ***For dust suppression adequate nos. of water sprinkling system are not found installed by the industry at both coal crusher and screens house.***

  
(Radhey Shyam)

  
(Y.D. Chauhan)

8. **Primary coal crusher and secondary coal crushers are not completely covered. Conveyor belts of coal and clinker are covered but material transfer points are not fully covered. At the time of inspection coal/clinker conveyor belts and transfer point were found partially damaged (Photograph is attached).**
9. **Coal is being transported by railway wagon. Wagon tippler and Truck unloading point are not fully covered.** Water sprinkling system are provided at coal unloading point **but it is not found in operation during inspection.**
10. At the time of inspection it was found that **unit has not installed proper Air Pollution Control System (APCS) on Coal/Clinker unloading tippler yard.** APCS is under commissioning (Photograph is attached). According to the unit representative, APCS will be operational by the end of December, 2019.
11. At the time of inspection it was found that **unit has unloaded some quantity of coal in open near railway track.** It was also observed that **coal yard is not fully covered** (Photograph is attached).
12. **Some internal roads of unit are not metalled,** which are also causing air pollution due to vehicular transportation etc.
13. In the south side of the secondary coal crusher and primary/secondary screen house, there is population of Nai Basti, ward no. 6 of Nagar Panchayat, Churk, Robertsganj, Sonbhadra is situated adjacent to boundary wall of the unit. **Boundary wall of the industry toward residential area (ward no. 6) is of very low height.**
14. During inspection it was observed that when dust suppression system, air pollution control systems and coal/clinker conveyor belt/transfer points shall be regularly operated and maintain, there would be no air pollution problem in nearby population.
15. Sewage Treatment plant of capacity 300 KLD is installed and operational. Treated sewage of STP is reused for gardening purpose.
16. At the time of inspection ambient air quality monitoring was carried out at ward no. 6, near the boundary wall of the industry. As per monitoring report Particulate **Matter (PM<sub>10</sub>) was found 240.55 µg/m<sup>3</sup>, which is beyond prescribed standard** as laid down under E(P) Act, 1986 (as amended). It indicates that unit is not operating the air pollution control system regularly. Monitoring report is as bellow.

  
(Radhey Shyam)

  
(Y.D. Chauhan)

## Ambient Air Quality Monitoring

Date of monitoring	01.11.2019 & 02.11.2019		
Location of sampling point	Approx 3 meter above the ground level on the roof of Shri Hemant Kumar S/O Let. Parsuram's house, Nai Basti, Ward no-6, Churk, Sonbhadra adjacent to boundary wall of factory.		
<b>OBSERVATIONS:</b>	<b>Shift 1st</b>	<b>Shift 2nd</b>	<b>Shift 3rd</b>
Average relative humidity (%)	62	69	67
Average ambient temperature (°C)	28	23	25
Time of sampling started (hrs.)	14.00	22.10	06.20
Time of sampling completed (hrs.)	22.00	06.10	14.20
Total sampling time (minutes)	480	480	480
Average sampling rate for PM <sub>10</sub> (m <sup>3</sup> /min)	1.00	1.00	1.00
Total volume of air sampled (PM <sub>10</sub> )	480	480	480
Concentration of pollutants (Particulate Matter) (PM <sub>10</sub> ) in µg/m <sup>3</sup>	1st Shift (8 Hourly value)	2nd Shift (8Hourly value)	3rd Shift (8Hourly value)
	225.83	257.92	237.92
Average Concentration of Particulate Matter (PM <sub>10</sub> )	240.55 µg/m <sup>3</sup>		
Standard (Particulate Matter)	100 µg/m <sup>3</sup>		

17. Unit is not complying the direction issued by U.P. Pollution Control board vide letter dated 29.12.2018 and 11.02.2019. Environmental Compensation shall be imposed for violation period of 307 days (from 29.12.2018 to 01.11.2019) as calculated below-

$$\text{Environmental Compensation (EC)} = \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF}$$

PI = Pollution Index of industrial sector ( taken as '80' considering 'Red Category')

N = Number of days of violation took place (Violation Period is '307' days)

R= A factor in Rupees (₹) ( taken as '250' )


S= Factor for scale of operation ( '1.5' considering scale of operation being 'large' )

LF = Location factor ( '1.0' considering population of area being < 1 million )

$$\begin{aligned} \text{EC} &= \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF} \\ &= 80 \times 307 \times 250 \times 1.5 \times 1.0 \\ &= 92,10,000/- \end{aligned}$$

**Net EC Assessed: ₹ Ninety two lakhs ten thousand only. (₹ 92,10,000)**


  
(Radhey Shyam)


  
(Y.D. Chauhan)


## Recommendations

- The unit should strictly comply the emission norms and ambient air quality standards laid down under Environment (Protection) Act, 1986 (as amended).
- The unit should immediately take corrective measures for the prevention/control of fugitive and source emission.
- The unit should fully cover all the conveyor belts and transfer points of coal handling plant and clinker stacking system.
- Unloading of coal/clinker shall be started after installation of adequate air pollution control system (APCS) on coal/clinker unloading tippler yard.
- Boundary wall of the industry towards residential area (specially ward no. 5 & 6 ) shall be increase up to minimum height of 4.0 meter from ground level.
- Unloading of coal near railway track in earthen open area shall be immediately stopped and store coal shall be removed safely.
- The unit should immediately take action for connectivity of installed Online continuous emission monitoring system (OCEMS) on cement grinding unit linking with CPCB & SPCB server within 15 days.
- The unit should install adequate nos. of water sprinkling system at primary coal crusher plant, secondary coal crusher, primary & secondary screen house and wagon/truck tippler points.
- The unit should establish environmental lab at the earliest.
- Regular operation and maintenance of Air Pollution Control Systems (APCS) is required by the unit to ensure compliance of all environmental norms.
- Fugitive emission should be controlled so that no agricultural/non-agricultural land and environment is adversely affected.
- The unit should improve Housekeeping.
- Green belt consisting of three tiers of plantation in 50 meter width of native species around plant shall be developed.

  
(Radhey Shyam)


  
Page 5 of 7

  
(Y.D. Chauhan)




Open Conveyer belt and transfer points

Unloaded coal in open area




Two stacks of height 130 meter each




Partial covering of conveyer belt & Coal Screening section.

  
(Radhey Shyam)


  
(Y.D. Chauhan)



*Monitoring of Ambient Air Quality*



*Approx. 2.0 meter Low height of factory boundary wall and kachcha road*



*Installation of APCS on Coal/Clinker unloading tippler yard is under process*

  
06/11/19  
**(Radhey Shyam)**  
Regional Office,  
U.P. Pollution Control Board,  
Sonbhadra

  
06/11/19  
**(Y.D. Chauhan)**  
SDM, Sadar  
Sonbhadra



**REGIONAL OFFICE CUM LABORATORY**  
**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD**  
 H. No. 162 Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)  
 Robertsganj, Sonbhadra-231216.

**AMBIENT AIR QUALITY MONITORING REPORT**

Name and address of the Industry : M/s J.P. Churk industrial complex (A Unit of Jay Prakash Associates Limited) Churk, Tehsil-Robertsganj, Distt-Sonbhadra

Product of the industry with installed capacity : Cement 1.0 Million Ton/Annum & Captive Power Plant- 180 M.W. (3 x 60 M.W.)

Sample collected by : Sri Rajesh Singh, S.A., Sri Ranjeet Kumar, M.A. & Sri Anmol Rathore, J.R.F.

Date of monitoring : 01.11.2019 & 02.11.2019

Main sources of air pollution : Flue Gas Emission from boiler-3 nos. (250 Ton/hr each), Process emission from Coal handling plant, Cement grinding unit etc.

Location of sampling point : Approx 3 meter above the ground level on the roof of Shri Hemant Kumar S/O Let. Parsuram house, Nai Basti, Ward no-6, Churk, Sonbhadra adjacent to boundary wall of factory.


**OBSERVATIONS:**

	Shift 1st	Shift 2nd	Shift 3rd
Average relative humidity (%)	62	69	67
Average ambient temperature (°C)	28	23	25
Time of sampling started (hrs.)	14.00	22.10	06.20
Time of sampling completed (hrs.)	22.00	06.10	14.20
Total sampling time (minutes)	480	480	480
Average sampling rate for PM <sub>10</sub> (m <sup>3</sup> /min)	1.00	1.00	1.00
Total volume of air sampled (PM <sub>10</sub> )	480	480	480

**RESULTS**

Concentration of pollutants in µg/m <sup>3</sup>	Shift Ist (8 Hourly value)	Shift IInd (8Hourly value)	Shift III (8Hourly value)	(24 Hourly value)	Standard
Particulate Matter (PM <sub>10</sub> )	225.83	257.92	237.92	240.55	100

Analysed by :

  
 04/11/19  
 (Rajesh Singh)  
 S.A.

  
 04/11/19  
 (Dr. S.C. Shukla)  
 Assistant Scientific Officer

  
 04.11.19  
 (Radheyshyam)  
 Regional Officer

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.

Ref. No.

/सी-2/वायु-55/आ० व० नोटिस/सोनमद/19

दिनांक 29/1/19  
Date

सेवा में,

मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स,  
(ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०),  
चुर्क,  
जनपद-सोनमद।

पंजीकृत

यह कि उद्योग मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स (ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०), चुर्क, जनपद-सोनमद जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 14.05.2018 द्वारा सशर्त सहमति वायु वैधता 31.12.2019 प्राप्त है। उद्योग द्वारा सहमति वायु में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन हेतु रू० 2.0 लाख की बैंक गारण्टी बोर्ड में जमा की गयी है जिसकी समाप्ति अवधि दिनांक 31.12.2019 है।

यह कि आपके उद्योग का निरीक्षण मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं०-716/2019 अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण उप जिलाधिकारी, सदर जनपद-सोनमद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद द्वारा दिनांक 01.11.2019 को किया गया। जिलाधिकारी, सोनमद के पत्र दिनांक 16.11.2019 के माध्यम से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्यानसार उद्योग द्वारा कोल परिवहन के समय डस्ट सप्रेसन व्यवस्था का सतत संचालन नहीं किया जा रहा था तथा उद्योग में कोल एवं विलंकर के परिवहन हेतु स्थापित कन्वेयर बेल्ट जगह-जगह क्षतिग्रस्त पाया गया। उद्योग में कोल एवं विलंकर के ट्रान्सफर प्वाइंट्स को पूर्ण रूप से कवर नहीं किया गया है। उद्योग में स्थापित ऑन-लाइन कान्टीनिवस इमीसन मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से सम्बद्ध नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय की गयी परिवेशीय वायु गुणता में PM की औसत मात्रा 240.55 मिला०/घन मी० पायी गयी है जो कि निर्धारित मानक 100.00 मिला०/घन मी० से अधिक है। उक्त से स्पष्ट है कि उद्योग में वायु सहमति आदेश दिनांक 14.05.2018 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

जिलाधिकारी, सोनमद के पत्र दिनांक 16.11.2019 एवं संयुक्त निरीक्षण दिनांक 01.11.2019 की आख्या में संदर्भित इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत, उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि वयों न मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स (ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०), चुर्क, जनपद-सोनमद की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

.....2.....

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,  
लखनऊ - 226010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई का मिलन विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का तात्कालिक प्रभाव से बचा कर दिया जाए।
3. यह कि क्यों न उद्योग द्वारा रू0 2.0 लाख की जमा की गयी बैंक गारण्टी में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण उक्त बैंक गारण्टी को बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा लिया जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, प्रतिउत्तर = प्राप्त होने अथवा संतोषजनक प्रातिउत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उद्योग के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त

( टी0 खान )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की उद्योग को प्राप्त सुनिश्चित कराकर कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. शाखा प्रबंधक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, Commercial Banking Division, A9 Phelps building, 1<sup>st</sup> floor Connaught Place, New Delhi-110001. को, उद्योग द्वारा जमा बैंक गारण्टी सं0-0007BGR0040019 दिनांक 31.05.2018 समाप्ति अवधि दिनांक 31.12.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
(वृत्त-2)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संलग्नक-3

संदर्भ सं०  
Ref. No.

444399

/सी-2/वायु-55/क्षतिपूर्ति/सोनभद्र/19

दिनांक  
Date

29-11-19

सेवा में,

मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स,  
(ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०),  
चुर्क,  
जनपद-सोनभद्र।

पंजीकृत

Annexure- III

विषय- मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स (ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०), चुर्क,  
जनपद-सोनभद्र के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स (ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०), चुर्क,  
जनपद-सोनभद्र का निरीक्षण मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं०-716/2019 अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ  
यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण उप जिलाधिकारी, सदर  
जनपद-सोनभद्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 01.11.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा  
कोल परिवहन के समय डस्ट सप्रेसन व्यवस्था का सतत् संचालन नहीं किया जा रहा था तथा उद्योग में कोल एवं  
क्लिंकर के परिवहन हेतु स्थापित कन्वेयर बेल्ट जगह-जगह क्षतिग्रस्त पाया गया। उद्योग में कोल एवं क्लिंकर के  
ट्रान्सफर प्वाइंट्स को पूर्ण रूप से कवर नहीं किया गया है। उद्योग में स्थापित ऑन-लाईन कान्टीनिवस इनीसन  
मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से  
सम्बद्ध नहीं किया गया है निरीक्षण के समय की गयी परिवेशीय वायु गुणता में RSPM की मात्रा निर्धारित मानक  
से अधिक पायी गयी है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के  
आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्रांक G-113608/NGT-968/2019 दिनांक 16.11.2019 एवं संयुक्त निरीक्षण  
आख्या दिनांक 01.11.2019 द्वारा संदर्भित इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981  
यथासंशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०  
सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में  
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश दिनांक 08.02.2019 के अनुसार दिनांक 29.12.2018 से दिनांक  
01.11.2019 तक अर्थात् 307 दिनों की उल्लंघन अवधि हेतु रू० 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल  
रू० 92,10,000/- (रुपये बानबे लाख दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति  
की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 16.11.2019 द्वारा प्रस्तुत संस्तुति एवं सक्षम  
स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स (ए यूनिट आफ जय प्रकाश  
एसोशिएट्स लि०), चुर्क, जनपद-सोनभद्र पर रू० 92,10,000/- (रुपये-बानबे-लाख दस हजार मात्र)  
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है, तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की  
धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ  
स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर  
जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि, निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1.  
मुख्य-पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

दिनांक:-14.12.2019

सेवा में,

 मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)  
 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
 लखनऊ।

विषय:-दिनांक 29.11.2019 को आपके पत्र संख्या /744344/ सी-2/ वायु-55/ का0ब0नोटिस/  
 सोनभद्र/19 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपेक्षित बिन्दुवार  
 स्पष्टीकरण/आख्या।

(संलग्नक-1 नोटिस की छायाप्रति)

आदरणीय महोदय,

आपके कार्यालय से दिनांक 29.11.19 को जारी विषयांकित पत्र के माध्यम से प्रार्थी की इकाई पर माननीय जिलाधिकारी सोनभद्र के द्वारा दिनांक 01.11.19 को माननीय एन जी टी द्वारा ओ०ए०सं० 716/2019 अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य के संदर्भ में दिनांक 18.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रार्थी की इकाई का निरीक्षण उपजिलाधिकारी सदर सोनभद्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम के द्वारा निरीक्षण के पश्चात प्रस्तुत की गयी निरीक्षण आख्या के क्रम में आप महोदय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के आज़ापक प्राविधानों के उल्लंघन को आधार मानते हुए प्रार्थी इकाई के विरुद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जो कि प्रार्थी की इकाई को दिनांक 05.12.2019 प्राप्त हुयी, जारी किया गया है-

कारण बताओ नोटिस के माध्यम से इकाई के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही-

1. यह कि क्यों न मेसर्स जेपी चुरक इण्डस्ट्रियल काम्प्लेक्स (जयप्रकाश एसोसिएट्स लि० की एक इकाई), चुरक, सोनभद्र की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाये कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
3. यह कि क्यों न उद्योग द्वारा रू० 2.0 लाख की जमा की गयी बैंक गारण्टी में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण उक्त बैंक गारण्टी को बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा लिया जाये।

के क्रम में प्रार्थी इकाई से संदर्भित जारी कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर प्रार्थी से अपेक्षित स्पष्टीकरण के क्रम बिन्दुवार स्पष्टीकरण सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है -

क्रम सं०	निरीक्षण के समय इकाई में पायी गयी कमियां	संदर्भित कमियों के निराकरण/नियंत्रण हेतु किये गये प्रयासों के क्रम में बिन्दुवार आख्या/प्रस्तुतीकरण	बिन्दुवार आख्या में संदर्भित संलग्नक
1	उद्योग द्वारा कोल परिवहन के समय डस्ट सेप्रेसशन व्यवस्था का सतत संचालन नहीं किया जा रहा था।	1.कोल परिवहन के समय प्रार्थी की इकाई की क्षमता के अनुरूप प्रार्थी से अपेक्षित निर्धारित उपायों के अनुपालन के क्रम में धूल उत्सर्जन को रोकने/नियंत्रित करने हेतु सभी आवश्यक उपकरणों को इकाई	2. कारखाना परिसर में सीपीपी के संदर्भ में कोयले से उत्सर्जित होने वाली धूल के फणों को नियंत्रित


**JAYPEE**  
 GROUP

Page 1 of 7


**JAYPEE**  
 CEMENT

परिसर के अन्दर स्थापित किया गया है। स्थापित उपकरणों/व्यवस्थाओं की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु सादर संज्ञानित करना है कि -

करने हेतु स्थापित बैग फिल्टर्स की स्थिति

#### सीपीपी

सीपीपी के संचालन हेतु कोल के आंतरिक परिवहन हेतु इकाई में स्थापित कन्वेयर बेल्ट एवं सम्बन्धित ट्रान्सफर प्वाइंट पर परिवहन के समय उत्सर्जित होने वाली धूल को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने हेतु स्थान विशेष से होने वाले अनुमानित उत्सर्जन की संभावित मात्रा के अनुसार चिन्हित सभी ऐसे संवेदनशील स्थानों पर अलग-अलग क्षमता वाले 13 बैग फिल्टर्स जिनका कार्य उत्सर्जित होने वाले धूल कणों को परिष्कृत करते हुए स्वच्छ वायु वातावरण में प्रक्षेपित करता है, स्थापित किये गये है। इस सम्बन्ध में सभी स्थापित बैग फिल्टर्स को स्थापित करने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत होने हेतु सभी आवश्यक जानकारियां/विवरण संलग्न है जिससे प्रार्थी की इकाई की संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और वचनबद्धता परिलक्षित होती है।

इकाई के संचालन के समय इकाई में उत्सर्जित होने वाली धूल के प्रभावी नियंत्रण हेतु जल छिड़काव के दृष्टिगत अपेक्षित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

परिवहन के मार्ग में कोल सर्किट में आवश्यकतानुसार विभिन्न महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों पर 09 वाटर संप्रिकलरस स्थापित किये गये है जो कि निरीक्षण के समय भी कार्यरत थे परन्तु निरीक्षण के समय पायी गयी धूल इकाई के अन्दर आवाजाही हेतु निर्मित सड़क मार्गों पर वाहनो के आवागमन के कारण उत्सर्जित हुई है।

इकाई में आवागमन हेतु निर्मित सड़क मार्गों पर वाहनो के आवागमन से उत्सर्जित होने वाले धूल के कणों को नियंत्रित करने हेतु 08 हजार लीटर पानी की क्षमता वाला इसी कार्य हेतु पूर्ण रूप से समर्पित एक वाटर टैंकर मार्गों पर निरंतर पानी का छिड़काव करता है।

3. कारखाना परिसर में इकाई के संचालन के समय उत्सर्जित धूल को नियंत्रित करने हेतु जल के छिड़काव की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये कारखाना परिसर में विभिन्न चिन्हित स्थानों पर स्थापित वाटर संप्रिकलरस का विवरण।

4. मार्गों से उत्सर्जित होने वाली धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिये कार्य विशेष हेतु कार्य में लिये जा रहे समर्पित वाटर टैंकर की छायाचित्र।

Ball

		<p><b>सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट</b> संदर्भित इकाई परिसर में ही माह नवम्बर 2018 से संचालित हो रही सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट के संचालन के समय उत्सर्जित होने वाली धूल के कणों को नियंत्रित करने हेतु 12 अन्य बैग फिल्टर्स स्थापित किये जा चुके हैं जो पूरी तरह से कार्यरत हैं जिनके सम्बन्ध में सभी आवश्यक विवरण संलग्न है।</p>	<p>5. सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट से सम्भावित उत्सर्जित होने वाली धूल के कणों को नियंत्रित करने हेतु स्थापित बैग फिल्टर्स का विवरण।</p>
2	उद्योग में कोल एवं विलंकर के परिवहन हेतु स्थापित कन्वेयर बेल्ट जगह-जगह क्षतिग्रस्त पायी गयी।	कोल एवं विलंकर के परिवहन हेतु स्थापित कन्वेयर बेल्ट के कुछ जगहों पर बेल्ट में आयी हुयी तकनीकी खराबी को ठीक करने हेतु कार्य करते समय बेल्ट में लगी हुयी शीट्स को खोला गया था जिन्हे अन्य कार्यों की प्राथमिकता/आवश्यकता के कारण ऐसी खुली हुयी जगहों को मरम्मत कार्य के बाद ढका नहीं जा सका था जिन्हे वर्तमान में पूरी तरह से ढक दिया गया है।	6. इकाई द्वारा किये गये प्रयासों के क्रम में निरीक्षण के समय की स्थिति और आवश्यक मरम्मत के कार्य के पश्चात की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सभी क्षतिग्रस्त स्थानों के छायाचित्र।
3	उद्योग में कोल एवं विलंकर के ट्रांसफर प्वाइंट को पूर्ण रूप से ढका नहीं पाया गया।	कोल एवं विलंकर के सुचारु रूप से परिवहन हेतु स्थापित कन्वेयर बेल्ट की आन्तरिक संबद्धता/स्थानान्तरण को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जगह पर ट्रांसफर प्वाइंट स्थापित है। तकनीकी खराबी को ठीक करने हेतु कार्य करते समय लगी हुयी शीट्स को कुछ जगहों पर से हटाया गया था जिन्हे अन्य कार्यों की प्राथमिकता/आवश्यकता के कारण भूल वश तत्काल पुनः उस स्थान पर नहीं लगाया जा सका था जिन्हे वर्तमान में पूरी तरह से ढक दिया गया है।	7. इकाई द्वारा किये गये प्रयासों के क्रम में निरीक्षण के समय की स्थिति और आवश्यक मरम्मत के कार्य के पश्चात की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सभी क्षतिग्रस्त स्थानों के छायाचित्र।
4	उद्योग में ऑन-लाइन कान्टीनिवस इमीसन मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संबद्ध नहीं पाया गया।	संदर्भित सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट में परिवेशीय वायु की निगरानी हेतु स्थापित ऑन-लाइन कान्टीनिवस इमीसन मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) का सर्वर से संबद्धता की स्थिति को स्पष्ट करने के पूर्व श्रीमान जी को सादर अवगत कराना है कि कारखाना परिसर में संयुक्त टीम के द्वारा दिनांक 01.11.2019 निरीक्षण की तिथि के समय विद्युत इकाई के संचालन हेतु पर्यावरणीय शर्तों के मानकों के अनुरूप कॅप्टिव पावर प्लांट के सभी आवश्यक संवेदनशील स्थानों की परिवेशीय वायु गुणता के आकलन तथा संचालन के समय उत्सर्जित होने वाली गैसों की स्थिति की निगरानी हेतु 04 ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित थे और क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सर्वरों से संबद्ध थे तथा सुचारु रूप से संचालन में थे और इनके द्वारा प्रक्षेपित विवरणों को ऑन लाईन	8. सीपीपी के संचालन के समय उत्सर्जित होने वाले धूल के कणों के नियंत्रण एवं निगरानी हेतु परिवेशीय वायु गुणता के आकलन के लिये उपरोक्त वर्णित स्थापित संयंत्रों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक विवरण तथा छायाप्रति।

मॉनीटर किया जा रहा था/ है। निरीक्षण के समय सभी स्थापित ऑन लाईन सिस्टम के सम्बन्ध में संलग्न आवश्यक विवरण और निरंतर प्रक्षेपित रिपोर्ट से प्रार्थी इकाई द्वारा संदर्भित प्रकरण में आवश्यक प्रभावी व्यवस्था एवं अनुपालन को सुनिश्चित करने की स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

उपरोक्त स्थापित ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम के अलावा विद्युत संयंत्र के संचालन के समय उपयोग में लाये जाने वाले जल के पश्चात शेष बचे हुये अनुपयोगी जल को उपयोग में लाने हेतु कारखाना परिसर में स्थापित जल परिशोधन संयंत्र/वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट में परिशोधन की प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु एक अन्य ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम भी स्थापित है और जो कि क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सर्वरो से संबद्ध है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के अलावा सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट से संभावित उत्सर्जित होने वाले धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक अपेक्षित ऑन-लाइन कान्टीनिवस इमीसन मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया था परन्तु क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सर्वरो से संबद्ध नहीं था जिसे निर्देशानुसार क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्वर से दिनांक 12.12.2019 को संबद्ध कर लिया गया है।

उपरोक्त वर्णित ऐसे सभी ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम जो क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण कार्यालय के सर्वरो से संबद्ध है, द्वारा परिवेशीय वायु गुणता के ऑन लाईन प्रक्षेपित कुछ समय के आकण इकाई के संचालन के समय इकाई व इकाई के आसपास की वायु गुणता को दर्शाते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि इकाई के संचालन के समय इकाई से उत्सर्जित होने वाली धूलकणों या गैसों को नियंत्रित एवं निगरानी करने हेतु स्थापित उपकरण सही रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रक्षेपित आकणों परिवेशीय वायु गुणता वायु शर्तों में वर्णित निर्धारित मानकों के अन्तर्गत है।

उपरोक्त संदर्भित स्थापित निगरानी उपकरणों द्वारा प्रक्षेपित आकणों का एक सूक्ष्म विवरण अवलोकनार्थ संलग्न है।

9. उपरोक्त स्थापित निगरानी संयंत्रों के विवरण तथा छायाचित्र।

10. संदर्भित स्थापित सर्वर से संबद्ध निगरानी उपकरणों द्वारा प्रक्षेपित आकणों का विवरण।

Full

		<p>साथ ही साथ इकाई के परिसर में स्थापित निगरानी उपकरणों की स्थानीय स्थिति को स्पष्ट करने हेतु एक सूक्ष्म रेखाचित्र अवलोनार्थ संलग्न किया जा रहा है जो कि इकाई के संचालन के समय इकाई परिसर के आस पास सभी दिशाओं की वायु गुणता के आकलन करने की अपेक्षित व्यवस्था को स्पष्ट करता है।</p>	<p>11. स्थापित सर्वर से संबद्ध निगरानी उपकरणों की स्थानीय स्थिति को दर्शाने हेतु सूक्ष्म रेखाचित्र।</p>
<p>5</p>	<p>निरीक्षण के समय प्रदूषण बोर्ड द्वारा की गयी परिवेशीय वायु गुणता में पीएम की औसत मात्रा 240.55 माइक्रो ग्राम/घनमी० पायी गयी जो कि निर्धारित मानक से अधिक थी।</p>	<p>परिवेशीय वायु गुणता के सम्बन्ध में मानको से अधिक प्राप्त गुणता के स्पष्टीकरण से पूर्व सादर संज्ञान में लाना है कि इकाई के आसपास की परिवेशीय वायु गुणता के आकलन हेतु परिसर में आवश्यक संवेदनशील स्थानों पर दो एएक्यूएमएस (एमबीएन्ट एयर स्पेस क्वलिटी मॉनीटरिंग सिस्टम) पहले से स्थापित है जिनमें से आवासीय परिसर में स्थापित एक सिस्टम पूर्ण रूप से उपयोग/संचालन में है परन्तु क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सर्वरो से निरीक्षण के समय तक संबद्ध नहीं हो सका था। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि इस कार्यरत आन लाईन सिस्टम को क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सर्वरो से दिनांक 31.01.20 तक संबद्ध करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर लिया जायेगा।</p> <p>हाल ही में स्थापित सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट से होने वाले सम्भावित धूल उत्सर्जन के प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत एक और ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम को स्थापित करने के विषय में भी गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है और जिसे निकट भविष्य में स्थापित कर लिया जायेगा।</p> <p>साथ ही साथ परिवेशीय वायु गुणता के सम्बन्ध में एमओइएफ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला से समयानुसार आकलन कराकर प्रयोगशाला द्वारा सौपी रिपोर्ट को क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के कार्यालय में नियमानुसार प्रेषित करने के क्रम में यह स्पष्ट करना है कि इकाई द्वारा निर्देश के अनुपालन के क्रम में इकाई के आस पास की परिवेशीय वायु गुणता का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से आकलन कराकर आकलन आख्या जो कि निर्धारित तय मानको के अन्तर्गत रहती है, को प्रत्येक त्रैमासिक नियमित रूप से क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सोनभद्र एवं लखनऊ कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। इस सम्बन्ध में इस</p>	<p>12. दिनांक 09.12.2019 को प्रयोगशाला द्वारा सौपी गयी आकलन आख्या की छायाप्रति।</p> <p>12.1. क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सोनभद्र एवं लखनऊ स्थित कार्यालयों को माह जनवरी 19 से लेकर सितम्बर 19 के अन्तराल में प्रेषित तीनों त्रैमासिक रिपोर्ट की छायाप्रतियां।</p>

*[Handwritten Signature]*

हस्तनेत्र कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। इस सम्बन्ध में इस वर्ष अब तक माह जनवरी से लेकर माह सितम्बर के अन्तराल में प्रेषित तीनो त्रैमासिक आकलन आख्या में दर्शायी गयी पीएम की मात्रा से स्पष्ट होता है कि इकाई अपने उपलब्ध संसाधनों से धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के समय क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के कार्यालय द्वारा परिवेशीय वायु गुणता आकलन हेतु स्थान विशेष में लगाये गये आकलन रायत्र से समयावधि विशेष में केवल स्थान विशेष की परिवेशीय वायु गुणता की स्थिति स्पष्ट होती है जिसके लिए इकाई के संचालन के समय इकाई से स्थान विशेष की दिशा में होने वाले उत्सर्जन से इन्कार नहीं है परन्तु इस स्थिति के लिए कुछ वाह्य कारण भी सहायक हो सकते हैं। परिवेशीय वायु गुणता के आकलन के सम्बन्ध में उपरोक्त स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि इकाई इस सम्बन्ध में आवश्यक अपेक्षित उपाय और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में वर्तमान वस्तु स्थिति से अवगत होने के लिये हाल ही में दिनांक 09.12.2019 को स्थान विशेष की परिवेशीय वायु गुणता के आकलन हेतु मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से पुनः आकलन कराया गया और प्रयोगशाला द्वारा दी गयी रिपोर्ट में पीएम की मात्रा 92.40 माइक्रो ग्राम/मीटर क्यूब प्राप्त हुई है जो कि प्रस्तुत उपरोक्त स्पष्टीकरण की सार्थकता/प्रमाणिकता सुनिश्चित करते हैं। इस सम्बन्ध में प्रयोगशाला द्वारा सौपी गयी आकलन आख्या अवलोकन हेतु संलग्न है।


श्रीमान जी के कार्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस के माध्यम से इकाई में उद्योग को जारी वायु सहमति में उल्लेखित शर्तों, इकाई द्वारा अनुपालन न किये जाने के क्रम में इंगित कमियों के अपेक्षित निष्पन्न एव निराकरण के विषय में इकाई द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बिन्दुवार स्पष्टीकरण की सत्यता की जाँच हेतु प्रार्थी की इकाई का पुनर्निरीक्षण कराना उचित होगा। तत्क्रम में श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा किये गये प्रयासों की सत्यता के परीक्षण हेतु इकाई के निरीक्षण के लिए सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के आलोक में श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रस्तावित निरीक्षण के उपरांत सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान जी अपने कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के माध्यम से इकाई के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के क्रियान्वयन पर पुनर्विचार करने की कृपा करें।

*Full*

जेपी चूर्क इण्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स (जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की एक इकाई) प्रार्थी के निवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए सदैव आभारी होगी।

कृते जेपी चूर्क इण्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स



आर एन यादव  
(टेक्निकल हेड)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को निवेदन के साथ इस आशय से प्रेषित है कि श्रीमान जी प्रार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की सत्यता की जाँच तथा प्रार्थी के द्वारा इकाई में किये गये प्रयासों के क्रम में वस्तुस्थिति से अवगत होने हेतु प्रार्थी की इकाई का निरीक्षण करने की कृपा करेंगे।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / सी-2/लागू-55/गोमतीखण्ड/गोमती/19  
Ref. No. H/113/19

दिनांक 29.11.19  
Date

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स  
(ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०),  
चुर्क,  
जनपद-सोनभद्र।

यह कि उद्योग मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स (ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०) चुर्क, जनपद-सोनभद्र जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। उद्योग का शुरुआत के पत्र दिनांक 14.05.2018 द्वारा सहमति वायु वैधता 31.12.2019 प्राप्त है। उद्योग द्वारा सहमति वायु में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन हेतु ₹ 2.0 लाख की बैंक गारण्टी बोर्ड में जमा की गयी है जिसकी समाप्ति अवधि दिनांक 31.12.2019 है।

यह कि आपके उद्योग का निरीक्षण मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं०-716/2019 अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण उप जिलाधिकारी, सदर जनपद-सोनभद्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा दिनांक 01.11.2019 को किया गया। जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 16.11.2019 के माध्यम से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा कोल परिवहन के समय डस्ट सप्रेसन व्यवस्था का सतत संचालन नहीं किया जा रहा था तथा उद्योग में कोल एवं क्लिंकर के परिवहन हेतु स्थापित कन्वेयर बेल्ट जगह-जगह क्षतिग्रस्त पाया गया। उद्योग में कोल एवं क्लिंकर के ट्रान्सफर प्वाइंट्स को पूर्ण रूप से कवर नहीं किया गया है। उद्योग में स्थापित ऑन-लाईन कान्टीनिवस इमीसन मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से सम्बद्ध नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय की गयी परिवेशीय वायु गुणता में PM की औसत मात्रा 240.55 मिला०/घन मी० पायी गयी है जो कि निर्धारित मानक 100.00 मिला०/घन मी० से अधिक है। उक्त से स्पष्ट है कि उद्योग में वायु सहमति आदेश दिनांक 14.05.2018 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 16.11.2019 एवं संयुक्त निरीक्षण दिनांक 01.11.2019 की आख्या में संदर्भित इकाई द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत, उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स (ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०), चुर्क, जनपद-सोनभद्र की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक डुकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
3. यह कि क्यों न उद्योग द्वारा रू0 2.0 लाख की जमा की गयी बैंक गारण्टी में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण उक्त बैंक गारण्टी को बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा लिया जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, प्रतिक्रिया न प्राप्त होने अथवा संतोषजनक प्रातिउत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उद्योग के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनांपरान्त

( टी0 य0 खान )  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
(वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सोनमदर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमदर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की उद्योग को प्राप्त सुनिश्चित कराकर कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. शाखा प्रबंधक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, Commercial Banking Division, A9 Phelps building, 1<sup>st</sup> floor Connaught Place, New Delhi-110001. को, उद्योग द्वारा जमा बैंक गारण्टी सं0-0007BGR0040019 दिनांक 31.05.2018 समाप्ति अवधि दिनांक 31.12.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
(वृत्त-2)

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ।

दिनांक-14.12.2019

पत्र सं. 67.5662/19  
प्राप्ति का दिनांक 24/12/19  
स्थावर

विषय :- श्रीमान जी के कार्यालय से दिनांक 29.11.2019 को जारी पत्र जिसकी पत्रांक सं०/744379/सी-2/वायु-55/क्षतिपूर्ति/सोनभद्र/19 जो कि प्रार्थी को दिनांक 05.12.2019 को सायंकाल प्राप्त हुआ, के माध्यम से प्रार्थी की इकाई के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार करते हुए माफ करने/निरस्त करने के सम्बन्ध में निवेदन। (संलग्नक 1-नोटिस की छायाप्रति)

आदरणीय महोदय,

आपके कार्यालय से दिनांक 29.11.19 को जारी पत्र के माध्यम से प्रार्थी की इकाई पर माननीय जिलाधिकारी सोनभद्र के द्वारा दिनांक 01.11.19 को माननीय एन जी टी द्वारा ओ०ए०सं० 716/2019 अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य के संदर्भ में दिनांक 18.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रार्थी की इकाई का निरीक्षण उपजिलाधिकारी सदर सोनभद्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम के द्वारा निरीक्षण के पश्चात प्रस्तुत की गयी निरीक्षण आख्या के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के अधिरोपण हेतु की गयी संस्तुति के क्रम में आप महोदय द्वारा प्रार्थी की इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन को आधार मानते हुए दिनांक 29.12.2018 से लेकर दिनांक 01.11.2019 तक 307 दिनों की उल्लंघन अवधि मानते हुए रू० 30 हजार प्रतिदिन के दर से कुल रू० 92 लाख 10 हजार की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रार्थी की इकाई पर अधिरोपित करते हुए संदर्भित पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अन्दर अधिरोपित क्षति पूर्ति की राशि को जमा करने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में सादर निवेदन करना है कि प्रार्थी की इकाई के द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित आज्ञापक प्राविधानों का सतत अनुपालन सुनिश्चित करना इकाई की सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इकाई द्वारा इस प्रतिबद्धता/वचनबद्धता के दृष्टिगत महोदय के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से वायु सहमति की शर्तों के अनुपालन के क्रम में निरीक्षण के समय इकाई में प्राप्त कमियों पर श्रीमान जी को प्रार्थी की इकाई द्वारा संदर्भित कमियों के नियंत्रण/निराकरण हेतु किये गये प्रयासों के क्रम में बिन्दुवार स्पष्टीकरण/आख्या श्रीमान जी के अवलोकनार्थ/विचारार्थ सादर प्रस्तुत है-

क्रम सं०	निरीक्षण के समय इकाई में पायी गयी कमियाँ	संदर्भित कमियों के निराकरण/नियंत्रण हेतु किये गये प्रयासों के क्रम में बिन्दुवार आख्या/प्रस्तुतीकरण	बिन्दुवार आख्या में संदर्भित संलग्नक
1	उद्योग द्वारा कोल परिवहन के समय डस्ट सेप्रेसशन व्यवस्था का सतत संचालन नहीं किया जा रहा था।	1.कोल परिवहन के समय प्रार्थी की इकाई की क्षमता के अनुरूप प्रार्थी से अपेक्षित निर्धारित उपायों के अनुपालन के क्रम में धूल उत्सर्जन को रोकने/नियंत्रित करने हेतु सभी आवश्यक उपकरणों को इकाई परिसर के अन्दर स्थापित किया गया है। स्थापित उपकरणों/व्यवस्थाओं की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु सादर संज्ञानित करना है कि -	2. कारखाना परिसर में सीपीपी के सन्दर्भ में कोयले से उत्सर्जित होने वाली धूल के कणों को नियंत्रित करने हेतु स्थापित बैग फिल्टर्स की स्थिति

### सीपीपी

सीपीपी के संचालन हेतु कोल के आंतरिक परिवहन हेतु इकाई में स्थापित कन्वेयर बेल्ट एवं सम्बन्धित ट्रॉन्स्फर प्वाइंट पर परिवहन के समय उत्सर्जित होने वाली धूल को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने हेतु स्थान विशेष से होने वाले अनुमानित उत्सर्जन की संभावित मात्रा के अनुसार चिन्हित सभी ऐसे संवेदनशील स्थानों पर अलग-अलग क्षमता वाले 13 बैग फिल्टर्स जिनका कार्य उत्सर्जित होने वाले धूल कणों को परिष्कृत करते हुए स्वच्छ वायु वातावरण में प्रक्षेपित करता है, स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सभी स्थापित बैग फिल्टर्स को स्थापित करने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत होने हेतु सभी आवश्यक जानकारीयां/विवरण संलग्न है जिससे प्रार्थी की इकाई की संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और वचनबद्धता परिलक्षित होती है।

इकाई के संचालन के समय इकाई में उत्सर्जित होने वाली धूल के प्रभावी नियंत्रण हेतु जल छिड़काव के दृष्टिगत अपेक्षित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

परिवहन के मार्ग में कोल सर्किट में आवश्यकतानुसार विभिन्न महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों पर 09 वाटर स्प्रेकलरस स्थापित किये गये हैं जो कि निरीक्षण के समय भी कार्यरत थे परन्तु निरीक्षण के समय पायी गयी धूल इकाई के अन्दर आवाजाही हेतु निर्मित सड़क मार्गों पर वाहनो के आवागमन के कारण उत्सर्जित हुई है।

इकाई में आवागमन हेतु निर्मित सड़क मार्गों पर वाहनो के आवागमन से उत्सर्जित होने वाले धूल के कणों को नियंत्रित करने हेतु 08 हजार लीटर पानी की क्षमता वाला इसी कार्य हेतु पूर्ण रूप से समर्पित एक वाटर टैंकर मार्गों पर निरंतर पानी का छिड़काव करता है।

### सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट

संदर्भित इकाई परिसर में ही माह नवम्बर 2018 से संचालित हो रही सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट के संचालन के समय उत्सर्जित होने वाली धूल के कणों को नियंत्रित करने हेतु

3. कारखाना परिसर में इकाई के संचालन के समय उत्सर्जित धूल को नियंत्रित करने हेतु जल के छिड़काव की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये कारखाना परिसर में विभिन्न चिन्हित स्थानों पर स्थापित वाटर स्प्रेकलरस का विवरण।

4. मार्गों से उत्सर्जित होने वाली धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिये कार्य विशेष हेतु कार्य में लिये जा रहे समर्पित वाटर टैंकर की छायाचित्र।

5. सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट से सम्भावित उत्सर्जित होने वाली धूल के कणों को

		12 अन्य बैग फिल्टर्स स्थापित किये जा चुके हैं जो पूरी तरह से कार्यरत हैं जिनके सम्बन्ध में सभी आवश्यक विवरण संलग्न हैं।	नियंत्रित करने हेतु स्थापित बैग फिल्टर्स का विवरण।
2	उद्योग में कोल एवं क्लिंकर के परिवहन हेतु स्थापित कन्वेयर बेल्ट जगह-जगह क्षतिग्रस्त पायी गयी।	कोल एवं क्लिंकर के परिवहन हेतु स्थापित कन्वेयर बेल्ट के कुछ जगहों पर बेल्ट में आयी हुयी तकनीकी खराबी को ठीक करने हेतु कार्य करते समय बेल्ट में लगी हुयी शीट्स को खोला गया था जिन्हे अन्य कार्यों की प्राथमिकता/आवश्यकता के कारण ऐसी खुली हुयी जगहों को मरम्मत कार्य के बाद ढका नहीं जा सका था जिन्हे वर्तमान में पूरी तरह से ढक दिया गया है।	6. इकाई द्वारा किये गये प्रयासों के क्रम में निरीक्षण के समय की स्थिति और आवश्यक मरम्मत के कार्य के पश्चात की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सभी क्षतिग्रस्त स्थानों के छायाचित्र।
3	उद्योग में कोल एवं क्लिंकर के ट्रान्स्फर प्वाइंट को पूर्ण रूप से ढका नहीं पाया गया।	कोल एवं क्लिंकर के सुचारु रूप से परिवहन हेतु स्थापित कन्वेयर बेल्ट की आन्तरिक <u>संबद्धता/स्थानान्तरण</u> को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जगह पर ट्रान्स्फर प्वाइंट स्थापित है। तकनीकी खराबी को ठीक करने हेतु कार्य करते समय लगी हुयी शीट्स को कुछ जगहों पर से हटाया गया था जिन्हे अन्य कार्यों की प्राथमिकता/आवश्यकता के कारण भूल वश तत्काल पुनः उस स्थान पर नहीं लगाया जा सका था जिन्हे वर्तमान में पूरी तरह से ढक दिया गया है।	7. इकाई द्वारा किये गये प्रयासों के क्रम में निरीक्षण के समय की स्थिति और आवश्यक मरम्मत के कार्य के पश्चात की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सभी क्षतिग्रस्त स्थानों के छायाचित्र।
4	उद्योग में ऑन-लाइन कान्टीनिवस इमीसन मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संबद्ध नहीं पाया गया।	संदर्भित सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट में परिवेशीय वायु की निगरानी हेतु स्थापित ऑन-लाइन कान्टीनिवस इमीसन मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) का सर्वर से संबद्धता की स्थिति को स्पष्ट करने के पूर्व श्रीमान जी को सादर अवगत कराना है कि कारखाना परिसर में संयुक्त टीम के द्वारा दिनांक 01.11.2019 निरीक्षण की तिथि के समय विद्युत इकाई के संचालन हेतु पर्यावरणीय शर्तों के मानकों के अनुरूप कैप्टिव पावर प्लांट के सभी आवश्यक संवेदनशील स्थानों की परिवेशीय वायु गुणता के आकलन तथा संचालन के समय उत्सर्जित होने वाली गैसों की स्थिति की निगरानी हेतु 04 ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित थे और क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सर्वरों से संबद्ध थे तथा सुचारु रूप से संचालन में थे और इनके द्वारा प्रक्षेपित विवरणों को ऑन लाईन मानीटर किया जा रहा था/है। निरीक्षण के समय सभी स्थापित ऑन लाईन सिस्टम के सम्बन्ध में संलग्न आवश्यक विवरण और निरंतर प्रक्षेपित रिपोर्ट से प्रार्थी इकाई द्वारा संदर्भित प्रकरण में आवश्यक प्रभावी व्यवस्था एवं अनुपालन को सुनिश्चित करने की	8. सीपीपी के संचालन के समय उत्सर्जित होने वाले धूल के कणों के नियंत्रण एवं निगरानी हेतु परिवेशीय वायु गुणता के आकलन के लिये उपरोक्त वर्णित स्थापित संयंत्रों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक विवरण तथा छायाप्रति।

स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

उपरोक्त स्थापित ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम के अलावा विद्युत संयंत्र के संचालन के समय उपयोग में लाये जाने वाले जल के पश्चात शेष बचे हुये अनुपयोगी जल को उपयोग में लाने हेतु कारखाना परिसर में स्थापित जल परिशोधन संयंत्र/वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट में परिशोधन की प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु एक अन्य ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम भी स्थापित है और जो कि क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सर्वरो से संबद्ध है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के अलावा सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट से संभावित उत्सर्जित होने वाले धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक अपेक्षित ऑन-लाइन कान्टीनिवस इमीसन मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया था परन्तु क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सर्वरो से संबद्ध नहीं था जिसे निर्देशानुसार क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्वर से दिनांक 12.12.2019 को संबद्ध कर लिया गया है।

उपरोक्त वर्णित ऐसे सभी ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम जो क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण कार्यालय के सर्वरो से संबद्ध है, द्वारा परिवेशीय वायु गुणता के ऑन लाईन प्रक्षेपित कुछ समय के आकषे इकाई के संचालन के समय इकाई व इकाई के आसपास की वायु गुणता को दर्शाते है जिससे स्पष्ट होता है कि इकाई के संचालन के समय इकाई से उत्सर्जित होने वाली धूलकणों या गैसों को नियंत्रित एवं निगरानी करने हेतु स्थापित उपकरण सही रूप में कार्य कर रहे है और उनके द्वारा प्रक्षेपित आकषे परिवेशीय वायु गुणता वायु शर्तों में वर्णित निर्धारित मानकों के अन्तर्गत है।

उपरोक्त संदर्भित स्थापित निगरानी उपकरणों द्वारा प्रक्षेपित आकषे का एक सूक्ष्म विवरण अवलोकनार्थ संलग्न है।

साथ ही साथ इकाई के परिसर में स्थापित निगरानी उपकरणों की स्थानीय स्थिति को स्पष्ट करने हेतु एक सूक्ष्म रेखाचित्र अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है जो कि इकाई के संचालन के समय इकाई परिसर के आस पास सभी दिशाओं की वायु गुणता

9. उपरोक्त स्थापित निगरानी संयंत्रों के विवरण तथा छायाचित्र।

10. संदर्भित स्थापित सर्वर से संबद्ध निगरानी उपकरणों द्वारा प्रक्षेपित आकषे का विवरण।

11. स्थापित सर्वर से संबद्ध निगरानी उपकरणों की स्थानीय स्थिति को दर्शाने हेतु सूक्ष्म रेखाचित्र।

*Paul*

		<p>साथ ही साथ इकाई के परिसर में स्थापित निगरानी उपकरणों की स्थानीय स्थिति को स्पष्ट करने हेतु एक सूक्ष्म रेखाचित्र अवलोनार्थ संलग्न किया जा रहा है जो कि इकाई के संचालन के समय इकाई परिसर के आस पास सभी दिशाओं की वायु गुणता के आकलन करने की अपेक्षित व्यवस्था को स्पष्ट करता है।</p>	<p>11. स्थापित सर्वर से संबद्ध निगरानी उपकरणों की स्थानीय स्थिति को दर्शाने हेतु सूक्ष्म रेखाचित्र।</p>
<p>5</p>	<p>निरीक्षण के समय प्रदूषण बोर्ड द्वारा की गयी परिवेशीय वायु गुणता में पीएम की औसत मात्रा 240.55 माइक्रो ग्राम/घनमी० पायी गयी जो कि निर्धारित मानक से अधिक थी।</p>	<p>परिवेशीय वायु गुणता के सम्बन्ध में मानको से अधिक प्राप्त गुणता के स्पष्टीकरण से पूर्व सादर संज्ञान में लाना है कि इकाई के आसपास की परिवेशीय वायु गुणता के आकलन हेतु परिसर में आवश्यक संवेदनशील स्थानों पर दो एएक्यूएमएस (एमबीएन्ट एयर स्पेस क्वलिटी मॉनीटरिंग सिस्टम) पहले से स्थापित है जिनमें से आवासीय परिसर में स्थापित एक सिस्टम पूर्ण रूप से उपयोग/संचालन में है परन्तु क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सर्वरो से निरीक्षण के समय तक संबद्ध नहीं हो सका था। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि इस कार्यरत आन लाईन सिस्टम को क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सर्वरो से दिनांक 31.01.20 तक संबद्ध करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर लिया जायेगा।</p> <p>हाल ही में स्थापित सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट से होने वाले सम्भावित धूल उत्सर्जन के प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत एक और ऑन लाईन मॉनीटरिंग सिस्टम को स्थापित करने के विषय में भी गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है और जिसे निकट भविष्य में स्थापित कर लिया जायेगा।</p> <p>साथ ही साथ परिवेशीय वायु गुणता के सम्बन्ध में एमओइएफ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला से समयानुसार आकलन कराके प्रयोगशाला द्वारा सौपी रिपोर्ट को क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के कार्यालय में नियमानुसार प्रेषित करने के क्रम में यह स्पष्ट करना है कि इकाई द्वारा निर्देश के अनुपालन के क्रम में इकाई के आस पास की परिवेशीय वायु गुणता का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से आकलन कराकर आकलन आख्या जो कि निर्धारित तय मानको के अन्तर्गत रहती है, को प्रत्येक त्रैमासिक नियमित रूप से क्षेत्रीय/केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सोनभद्र एवं लखनऊ कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। इस सम्बन्ध में इस</p>	<p>12. दिनांक 09.12.2019 को प्रयोगशाला द्वारा सौपी गयी आकलन आख्या की छायाप्रति।</p> <p>12.1. क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के सोनभद्र एवं लखनऊ स्थित कार्यालयों को माह जनवरी 19 से लेकर सितम्बर 19 के अन्तराल में प्रेषित तीनों त्रैमासिक रिपोर्ट की छायाप्रतियां।</p>

*Ball*

	<p>करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के समय क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के कार्यालय द्वारा परिवेशीय वायु गुणता आकलन हेतु स्थान विशेष में लगाये गये आकलन संयंत्र से समयावधि विशेष में केवल स्थान विशेष की परिवेशीय वायु गुणता की स्थिति स्पष्ट होती है जिसके लिए इकाई के संचालन के समय इकाई से स्थान विशेष की दिशा में होने वाले उत्सर्जन से इन्कार नहीं है परन्तु इस स्थिति के लिए कुछ वाहय कारण भी सहायक हो सकते हैं। परिवेशीय वायु गुणता के आकलन के सम्बन्ध में उपरोक्त स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करते हैं कि इकाई इस सम्बन्ध में आवश्यक अपेक्षित उपाय और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में वर्तमान वस्तु स्थिति से अवगत होने के लिये हाल ही में दिनांक 09.12.2019 को स्थान विशेष की परिवेशीय वायु गुणता के आकलन हेतु मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से पुनः आकलन कराया गया और प्रयोगशाला द्वारा दी गयी रिपोर्ट में पीएम की मात्रा 92.40 माइक्रो ग्राम/मीटर क्यूब प्राप्त हुई है जो कि प्रस्तुत उपरोक्त स्पष्टीकरण की सार्थकता/प्रमाणिकता सुनिश्चित करते हैं। इस सम्बन्ध में प्रयोगशाला द्वारा सौपी गयी आकलन आख्या अवलोकन हेतु संलग्न है।</p>	
--	--	--

इकाई पर श्रीमान जी ने अपने पत्र में संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण के समय इकाई में पर्यावरणीय शर्तों के मानकों के उल्लंघन से सम्बन्धित प्याप्त कमियों के अलावा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अधिरोपण की संगणना का आधार मुख्यतः क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनमद्र के द्वारा दिनांक 29.12.2018 को लिखे गये पत्र के माध्यम से अपेक्षित निर्देशित कार्यों का इकाई द्वारा अनुपालन न किया जाना को विचार/संज्ञान में लेते हुए 307 दिनों के लिए दिनांक 29.12.18 से लेकर संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.11.19 को किये गये निरीक्षण की तिथि तक के लिये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, के क्रम में सादर निवेदन के साथ आग्रह है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु विचार में लिया गया आधार निश्चय ही पुर्नविचार योग्य है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण क्षतिपूर्ति अधिरोपण के संगणना हेतु विचार में लिये गये इस आधार की वास्तविक तथ्यगत वस्तुस्थिति स्पष्ट करता है जिसका गणना के आधार को पुर्नविचार हेतु संज्ञान में लेना उचित होगा। इसी क्रम में श्रीमान जी को तथ्यगत स्थिति से अवलोकित कराने हेतु निम्नांकित स्पष्टीकरण सादर प्रस्तुत है-

स्थिति को स्पष्ट करने के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा दिये दिनांक 29.12.2018 को अपने पत्र के माध्यम से इकाई को दिए गए निर्देशों का संज्ञान लेना अति आवश्यक है जिसका उल्लेख करना समीचीन है -

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.12.2018 (संलग्नक 13 - पत्र की छायाप्रति) को लिखे गये पत्र के माध्यम से प्रार्थी की इकाई को अनुपालन हेतु दिये गये निर्देश-

1. इकाई द्वारा इकाई के संचालन के समय कोल कसिंग सेक्सन से जनित उत्सर्जन के प्रभावी नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव सतत एवं सुचारु रूप से नहीं किया जा रहा है और इस परिपेक्ष में इकाई से परिसर में स्थापित जल के छिड़काव की व्यवस्था के सतत संचालन को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी थी।

2. इकाई के संचालन के समय इकाई के आसपास की परिवेशीय वायु गुणता का आकलन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर आकलन आख्या पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर महोदय के कार्यालय में प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपरोक्त दिये हुए दिशानिर्देशों के अपेक्षित अनुपालन के कम में प्रस्तुत स्पष्टीकरण-

निःसन्देह किन्ही अपरिहार्य परिस्थिति में कतिपय कारणों से क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक 29.12.2018 को लिखे हुए पत्र का संज्ञान इकाई द्वारा नहीं लिया जा सका जिसके लिये प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है। इसी कम में क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 11.02.19 को पुनः एक अनुस्मारक पत्र लिखा गया जो कि प्रार्थी की इकाई को 20.02.19 को प्राप्त हुआ और इस पत्र के माध्यम से भी दिनांक 29.12.2018 को लिखे गये पत्र में निर्देशित बिन्दुओं के अनुपालन करते हुए अपेक्षित अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति से 07 दिनों के अन्दर प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। तत्कम में अनुस्मारक पत्र प्राप्त होते ही पत्र में दिये गये निर्देशों का तत्काल संज्ञान लेते हुए अपेक्षित आवश्यक प्रभावी कदम उठाने की दिशा में प्रयास आरम्भ कर दिये गये जिनका कमवार विवरण अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है-

संलग्नक 14- क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.02.19 को लिखे गये अनुस्मारक पत्र की छायाप्रति।

1. इकाई के संचालन के समय इकाई में उत्सर्जित होने वाली धूल के प्रभावी नियंत्रण हेतु जल छिड़काव के दृष्टिगत अपेक्षित आवश्यक व्यवस्था निम्नांकित विवरण के अनुसार उपलब्ध/स्थापित है, जिसका विवरण प्रस्तुत है-

परिवहन के मार्ग में कोल के परिवहन हेतु स्थापित कोल सर्किट में आवश्यकतानुसार विभिन्न महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थानों पर 09 वाटर सप्रिंकलरस स्थापित किये गये हैं जो कि निरीक्षण के समय भी कार्यरत थे परन्तु निरीक्षण के समय पायी गयी धूल सम्भवतः इकाई के अन्दर आवाजाही हेतु निर्मित सड़क मार्गों पर वाहनों के आवागमन के कारण थी।

संलग्नक 15 -जल छिड़काव की व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु इकाई में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये गये वाटर सप्रिंकलरस का विवरण

इकाई में आवागमन हेतु निर्मित सड़क मार्गों पर वाहनों के आवागमन से उत्सर्जित होने वाले धूल के कणों को नियंत्रित करने हेतु 08 हजार लीटर पानी की क्षमता वाला एक समर्पित वाटर टैंकर कारखाना परिसर में आवागमन हेतु निर्मित मार्गों पर निरंतर पानी का छिड़काव करता है।

2. परिवेशीय वायु गुणता के आकलन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अनुपालन के कम में अनुस्मारक पत्र प्राप्ति की तिथि दिनांक 20.02.19 से तत्काल प्रयास आरम्भ करते हुए नोएडा स्थित मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नोएडा टेस्टिंग प्रयोगशाला से सम्पर्क किया गया और आवश्यक संवाद/पत्राचार की प्रक्रिया तत्काल आरम्भ कर दी गयी। तत्कम में फलस्वरूप प्रयोगशाला द्वारा इकाई के आसपास की परिवेशीय वायु गुणता का आकलन करने हेतु दिनांक 09.03.2019 को आवश्यक उपकरण नोएडा से लाकर स्थान विशेष पर 5/6 दिनों के लिये स्थापित किया गया और तत्कम में

*Full*

उपकरणों से प्राप्त परिणाम के आधार पर प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 15.03.2019 को प्रेषित परिवेशीय वायु गुणता की आकलन आख्या प्रार्थी की इकाई को प्राप्त हुई जिसमें अलग-अलग स्थानों में दर्शायी गयी पीएम की मात्रा निम्नांकित है-

परिवेशीय वायु गुणता के आकलन हेतु स्थान विशेष पर लगाये गये उपकरण	निर्धारित परिवेशीय वायु गुणता के मानक (माइक्रो ग्राम/मीटर क्यूब)	प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत की गयी आकलन आख्या में दर्शायी गयी परिवेशीय वायु गुणता (माइक्रो ग्राम/मीटर क्यूब)
कारखाना परिसर का मुख्य द्वार	100	85.50
मुख्य भंडारण भवन के पास	100	81.80
आवासीय परिसर	100	81.50

प्रयोगशाला द्वारा कारखाना परिसर के आसपास की परिवेशीय वायु गुणता के आकलन हेतु चयनित स्थानों पर लगाये गये उपकरणों से प्राप्त परिणामों के विश्लेषण के पश्चात दिनांक 15.03.2019 को प्रस्तुत की गयी उपरोक्त रिपोर्ट इकाई के आस पास की परिवेशीय वायु गुणता की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करती है जो कि निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित अनुमोदित सीमा के अन्तर्गत है। प्रयोगशाला द्वारा दी हुई इस आख्या को क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के कार्यालय में दिनांक 23.03.2019 को प्रस्तुत कर दिया गया जिसका संज्ञान लेते हुए महोदय के कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 02.04.2019 को पावती भी जारी की गयी है।


(संलग्नक 16 - प्रयोगशाला से आकलन कराने हेतु किये गये ई-मेल की छायाप्रति, संलग्नक 17-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 15.03.19 को दी गयी आकलन आख्या, संलग्नक 18- क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के कार्यालय द्वारा दिनांक 02.04.2019 को जारी पावती की छायाप्रति।)

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 29.12.18 एवं 11.02.19 को इकाई को परिवेशीय वायु गुणता को नियंत्रित करने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उपरोक्त प्रस्तुत आख्या से परिलक्षित होता है कि प्रार्थी की इकाई द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दी गयी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ही इकाई द्वारा पूरी तत्परता और सजगता से अपेक्षित प्रयास किये गये हैं और इस कार्य को पूरा करने / अनुपालित करने में जो भी समय लगा है वह सामान्यतः ऐसे कार्यों के सम्पादन हेतु होने वाली प्रक्रिया में लगना स्वभाविक है। अतः उक्त स्पष्टीकरण के क्रम में श्रीमान जी द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अधिरोपण हेतु संज्ञान में लिया गया यह आधार पुनर्विचार योग्य है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के आलोक में प्रार्थी की इकाई के द्वारा परिवेशीय वायु गुणता के सम्बन्ध में इकाई को बोर्ड से जारी वायु सहमति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के क्रम में एक बार पुनः स्पष्ट करना है कि प्रार्थी की इकाई शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सदैव सजग एवं सतत् रूप से तत्पर है। अतः इकाई द्वारा किये गये/ किये जा रहे प्रयासों के दृष्टिगत श्रीमान जी से निवेदन है कि इकाई द्वारा महोदय के वायु सहमति में वर्णित शर्तों के अनुपालन हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रार्थी द्वारा दिये गये उपरोक्त स्पष्टीकरण की सत्यता/ प्रमाणिकता की जाँच हेतु इकाई का पुनः निरीक्षण कराया जाना आवश्यक है जिसके लिए श्रीमान जी सक्षम अधिकारियों से इकाई की पुनः जाँच कराकर मौके की वस्तु स्थिति से अवगत हो सकते हैं और यदि पुनः निरीक्षण के समय प्रार्थी के द्वारा इकाई में किये गये प्रार्थी के प्रयासों की सत्यता प्रमाणित होती है तो तत्कम में प्रार्थी की इकाई पर अधिरोपित रू 92,10,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की संगणना हेतु विचार में लिया गया आधार निश्चित रूप से पुनर्विचार योग्य है।

जेपी चूर्क इण्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स (जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की एक इकाई) प्रार्थी के निवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए सदैव आभारी होंगे।

कृते जेपी चूर्क इण्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स



आर एन यादव  
(टेक्निकल हेड)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- माननीय जिलाधिकारी महोदय, सोनमद्र को प्रकरण के निस्तारण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.

444/399

(टी.सी.-12/नग-55/विभूतिखण्ड/गोमतीनगर) 17

दिनांक  
Date

29/11/19

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स,  
(ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०),  
चुर्क,  
जनपद-सोनभद्र।

विषय- मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स (ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०), चुर्क,  
जनपद-सोनभद्र के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स (ए यूनिट आफ जय प्रकाश एसोशिएट्स लि०), चुर्क,  
जनपद-सोनभद्र का निरीक्षण मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं०-716/2019 अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ  
यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण उप जिलाधिकारी, सदर  
जनपद-सोनभद्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 01.11.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा  
कोल परिवहन के समय डस्ट सप्रेषन व्यवस्था का सतत संचालन नहीं किया जा रहा था तथा उद्योग में कोल एवं  
विलंकर के परिवहन हेतु स्थापित कन्वेयर बेल्ट जगह-जगह क्षतिग्रस्त पाया गया। उद्योग में कोल एवं विलंकर के  
ट्रान्सफर प्वाइंट्स को पूर्ण रूप से कवर नहीं किया गया है। उद्योग में स्थापित ऑन-लाइन कान्टीनिवस इनीसन  
मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से  
सम्बद्ध नहीं किया गया है निरीक्षण के समय की गयी परिवेशीय वायु गुणता में RSPM की मात्रा निर्धारित मानक  
से अधिक पायी गयी है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के  
आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्रांक G-113608/NGT-968/2019 दिनांक 16.11.2019 एवं संयुक्त निरीक्षण  
आख्या दिनांक 01.11.2019 द्वारा संदर्भित इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981  
यथासंशोधित के प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०  
सं०-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में  
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश दिनांक 08.02.2019 के अनुसार दिनांक 29.12.2018 से दिनांक  
01.11.2019 तक अर्थात् 307 दिनों की उल्लंघन अवधि हेतु रू० 30,000/- प्रतिदिन की दर से कुल  
रू० 92,10,000/- (रुपये बानबे लाख दस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति  
की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 16.11.2019 द्वारा प्रस्तुत संस्तुति एवं सक्षम  
स्तर से अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स (ए यूनिट आफ जय प्रकाश  
एसोशिएट्स लि०), चुर्क, जनपद-सोनभद्र पर रू० 92,10,000/- (रुपये-बानबे-लाख-दस-हजार-मात्र)  
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है, तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की  
धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ  
स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर  
जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1.  
मुख्य-पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



1898  
Roap PCB  
जिलाधिकारी  
सोनभद्र

**E-MAIL**

Annexure-VI

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.

445502 / सी-२/वायु-५५/एनजीटी/२०१९

दिनांक

Date 20/12/19

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
सोनभद्र।

विषय-मैसर्स जे०पी० चुर्क इण्डस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स (ए यूनिट ऑफ जय प्रकाश एसोसियेटेड्स लि०), चुर्क, जनपद-सोनभद्र के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस एवं अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संदर्भ में उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के सम्बंध में।

महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-716/2019 अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.09.2019 के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण उपजिलाधिकारी, सदर, जनपद-सोनभद्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा दिनांक 01.11.2019 को किया गया था। जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्रांक जी-113608/एनजीटी-968/2019 दिनांक 16.11.2019 एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 01.11.2019 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 29.11.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा उद्योग पर 307 दिवस की उल्लंघन अवधि हेतु रुपये 92.10 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पत्र दिनांक 29.11.2019 द्वारा अधिरोपित की गयी थी। इस सम्बंध में उद्योग द्वारा दिनांक 14.12.2019 को प्रेषित 02 प्रत्यावेदनों के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति आपको भी संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिये गये तथ्यों के सम्बंध में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा गठित समिति के माध्यम से परीक्षणोपरान्त आख्या संस्तुति सहित बोर्ड मुख्यालय 01 सप्ताह में प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि उद्योग के प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय,

(ओशीष तिवारी)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस आशय से कि जिलाधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित कर उद्योग के प्रत्यावेदन के संबंध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वीं विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com